भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3485

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान

3485. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोणः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिला प्रधान परिवारों के उच्चतम प्रतिशत (एनएफएचएस के अनुसार 41 प्रतिशत), मादक प्रदार्थों की लत में चिंताजनक वृद्धि और अल्पायु में विवाह के प्रचलन जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मेघालय के शिलांग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मेघालय में इन महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने की योजना है;

(ग) क्या सरकार का विचार मेघालय में महिला सशक्तिकरण, युवा पुनर्वास और सामाजिक कल्याण के लिए अनुरूप कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने का है; और

(घ) क्या मंत्रालय क्षेत्र में मादक पदार्थों की लत के बढ़ते संकट को देखते हुए, निवारक और पुनर्वास रणनीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देगा?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): मेघालय में राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। मेघालय सहित देश में मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को लागू कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत राज्यों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम और नशे का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/वीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) मेघालय के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। एनएमबीए का उद्देश्य समुदाय तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है। राज्य कार्य योजना के अंतर्गत निवारक शिक्षा एवं जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, उपचार एवं पुनर्वास, अनुसंधान आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं, जिनमें जिलों, शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, समुदाय, छात्रों, युवाओं और महिलाओं आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी शामिल है।

अनुबंध

"राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान" पर दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3485 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मेघालय सहित देश में मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए नोडल विभाग है। मादक पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए इस विभाग ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना, नशीली दवाओं की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और इसे कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित को वितीय सहायता प्रदान की जाती हैः

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।

ii. नशे का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन को किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) को; और

iii. नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

2. एनएपीडीडीआर योजना के तहत नशीली दवाओं की मांग कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

i. वर्तमान में 347 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, 71 डीडीएसी और सरकारी अस्पतालों में 117 एटीएफ को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वितीय सहायता दी जा रही है। इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों की आसान पहुँच के लिए जियो-टैग किया गया है। इनमें से 01 आईआरसीए, 01 ओडीआईसी और 01 एटीएफ मेघालय में स्थित हैं।

ii. क्षेत्र में नशीली दवाओं में कमी लाने वाली विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य द्वारा राज्य विशिष्ट राज्य कार्य योजना (एसएपी) तैयार की जाती है और एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत एसएपी के तहत विभाग द्वारा धनराशि जारी की जाती है।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन '14446' शुरू की गई है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.18 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 11 हजार से अधिक कॉल मेघालय से प्राप्त हुई हैं।

iv. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 272 चिन्हित जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

v. अब तक, एनएमबीए के तहत जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 13.57+ करोड़ लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 4.42+ करोड़ युवा और 2.71+ करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 3.85+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। मेघालय में 28 हजार से अधिक युवाओं, 12 हजार से अधिक महिलाओं तथा 2 हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सहित 15.32 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है।

vi. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vii. इस अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

viii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/व्यूअर (viewer) को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-शपथ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

ix. 12 अगस्त, 2024 को देशभर में एनएमबीए पर एक सामूहिक ऑनलाइन शपथ ली गई और 2+ लाख संस्थानों के लगभग 3+ करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया।

x. इस मंत्रालय ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं की शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। नवचेतना मॉड्यूल का उद्देश्य भारत के स्कूलों में छात्रों के बीच जीवन कौशल और नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना है। मेघालय राज्य में नवचेतना मॉड्यूल के प्रथम चरण में, मॉड्यूल के दूसरे चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 04 जिलों से 13 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

xi. मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे एससीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है। चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, एनआईएसडी द्वारा मेघालय राज्य में विभिन्न लक्षित समूहों के लिए 05 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 2298 लोगों ने भाग लिया है।

****